जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref:BRLPS/Proj-MIS/854/15/4006 Date:23.03.2021

Ref:BRLPS/Proj-MIS/854/15/776-03.06.2019 का हिंदी रूपांतरण

कार्यालय आदेश

कार्यपालक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस एग्जीक्यूटिव) की 'नियोजन एवं पारिश्रमिक नीति' तथा प्रखंड अंकीकरण केंद्र (ब्लॉक डिजिटाइजेशन सेंटर - बीडीसी) का गठन

1.1 पृष्ठभूमि

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में निर्णय सहयोग प्रणाली (डिसिजन सपोर्ट सिस्टम-DSS) की स्थापना और उसे सुव्यवस्थित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत किये गए प्रयासों से इस प्रणाली(सिस्टम) में विशाल पूर्ववर्ती आंकड़ों के साथ - साथ सीमित संकेतकों पर वर्तमान आंकड़ों को भी सफलतापूर्वक प्रविष्टि किया गया है। इस गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैं जो डीएसएस के लिये आंकड़ों की प्रविष्टि से सम्बंधित कार्य करते हैं। आंकड़ों की प्रविष्टि के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों के विवरण (प्रोफ़ाइल) के आंकड़ों की प्रविष्टि और ग्राम संगठनों तथा संकुल स्तरीय संघों के वित्तीय लेनदेन के आंकड़ों की प्रविष्टि शामिल है। अभी तक, आठ लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, पचास हजार से अधिक ग्राम संगठनों और आठ सौ से अधिक संकुल स्तरीय संघों के विवरणों (प्रोफाइल) को एमआईएस प्रणाली में अंकीकृत किया गया है। प्रखंड/जिला स्तर पर सामुदायिक संगठनों के प्रोफाइल और उनके वित्तीय लेनदेन सम्बन्धी आंकड़ों की प्रविष्टि या अंकीकरण (डीजीटाईजेशन) एक सतत प्रक्रिया है। यह सूचना प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान आंकड़ों को बनाए रखने के साथ ही प्रबंधन को उचित निर्णय लेने और सभी स्तरों पर समीक्षा करने में मदद करती है। इसके अलावा, संकुल संघों/ग्राम संगठनों की वास्तविक समय में लेन-देन संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए सूचना तकनीक की पर्याप्त आधारभूत संरचना और एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए सुदृढीकृत नीति की आवश्यकता होगी। इस सब के लिए एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स के नियोजन, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों को संशोधित और सुव्यवस्थित करना आवश्यक है| बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, प्रखंडों मे एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स/डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए संकुल संघों को सहयोग करेगी ।

1.2 उद्देश्य

नियोजन एवं पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स के नियोजन, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करना है।

2.1 एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स

एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स को प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों/ जिला परियोजना समन्वयन इकाईयों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नीचे इंगित पदों की संख्या और प्रतिवेदि अधिकारी के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है:

पद	पद का स्थान	पद संख्या	रिपोर्टिंग अधिकारी
एमआईएस एक्जीक्यूटिव	प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई	प्रत्येक ब्लॉक के लिए न्यूनतम 1 और अधिकतम 2	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
एमआईएस एक्जीक्यूटिव	जिला परियोजना समन्वयन इकाई	1 (एक)	जिला परियोजना प्रबंधक

2.2 योग्यता और अनुभव

पद	योग्यता	विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के अनुसार आयु सीमा	न्यूनतम अनुभव
एमआईएस एक्जीक्यूटिव	न्यूनतम कंप्यूटर कोर्स में डिप्लोमा और 10 + 2 पास। बिहार का अधिवास/निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।	न्यूनतम 18 वर्ष	न्यूनतम छह माह का डाटा एंट्री कार्य में अनुभव

एमआईएस एक्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति में महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी खासकर तब जब किसी प्रखंड में एक से अधिक एमआईएस एक्जीक्यूटिव हों|

2.3 1) नियोजन की प्रक्रिया

एमआईएस एग्जीक्यूटिव/डीईओ के चयन प्रक्रिया का संचालन संकुल संघ करेगा और बीआरएलपीएस(जीविका)को इसकी सेवाएं प्रदान करेगा। चूंकि यह मानव संसाधन का चयन होगा, बीआरएलपीएस(जीविका) सम्बंधित नोडल संकुल स्तरीय संघ /नोडल ग्राम संगठन को इसके क्रियान्वय हेतु अनुसमर्थन करेगा। चयन प्रक्रिया में संकुल संघ के कोई भी दो पदधारक शामिल होंगे। प्रखंड परियोजना प्रबंधक/जिला,परियोजना प्रबंधक, अनुश्रवन एवं मूल्यांकन प्रबंधक और मानव संसाधन प्रबंधक संकुल संघ को अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए बनाई गयी समिति का हिस्सा होंगे यदि संकुल संघ/ ग्राम संगठन ऐसा निर्णय लेते हैं। चयनित उम्मीदवारों का अंतिम अनुमोदन संकुल संघ द्वारा किया जाएगा।

जहां तक स्थान का संबंध है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव बीपीआईयू कार्यालय में काम करेंगे और उन्हें एमआईएस में डेटा प्रविष्टि के लिए आधारभूत आईटी संरचना प्रदान की जाएगी। बीपीआईयू आवश्यक आधारभूत आईटी संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रत्येक प्रखंड में सीएलएफ के माध्यम से कम से कम एक और अधिकतम दो एमआईएस एग्जीक्यूटिव पदस्थापित किये जायेंगे। जिला परियोजना समन्वयन इकाई के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, एक नोडल संकुल संघ की पहचान करेगा, जिसमें एमआईएस एग्जीक्यूटिव की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। अगर किसी प्रखंड में संकुल संघ नहीं है, या पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है, तो नोडल ग्राम् संगठन इस उद्देश्य के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। जिला परियोजना समन्वयन इकाई विज्ञापन प्रकाशित करने और संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया में नोडल संकुल संघ की सहायता करेगा।

चयन प्रक्रिया निम्नवत होंगी :

पदनाम	लिखित परीक्षा	प्रैक्टिकल टेस्ट	व्यक्तिगत साक्षात्कार
एमआईएस एग्जीक्यूटिव	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

इस हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता है:

• विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटनी करना।

• छांटें गए योग्य उम्मीदवारों को लिखित और व्यवहारिक परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए स्थान और तिथि के बारे में उन्हें सूचित करना।

• अंतिम परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया के समापन के दिन प्रकाशित किये जायेंगे|

अंतिम परिणाम पर प्रक्रिया में भाग लेने वाले संकुल संघ पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। पैनल के सदस्यों द्वारा अंतिम परिणाम की भी पुष्टि की जाए जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रबंधक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम एंड ई), राज्य कार्यालय का एक प्रतिनिधि और नोडल संकुल संघ के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंकपत्र भी उसी कमेटी द्वारा संपुष्ट की जाएगी और उसी दिन उसे प्रकाशित किया जाएगा। यदि संकुल संघ गठित नहीं है या संकुल संघ पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, तो नोडल ग्राम संगठन से कोई भी दो अधिकारी(अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष) इस स्पष्ट समझ के साथ प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे कि जैसे ही संकुल संघ पर्याप्त परिपक्व हो जाता है, एमआईएस एक्जीक्यूटिव की सेवाएं संकुल संघ में स्थानांतरित कर दी जायेगी। इन दस्तावेजों का भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए उचित संधारण किया जाना है।

अंतिम परिणाम में प्रत्येक प्रखंड के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाय। परिणाम को प्रखंडवार तैयार किया जाय।

यदि वर्ष के मध्य मे एमआईएस एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होती है तो प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी।

2.3 2) अंकीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए, संकुल संघ को एमआईएस एग्जीक्यूटिव/डीईओ, क्लस्टर फैसिलिटेटर (सीएफ) और मास्टर बुक कीपरों (एम.बी.के.) से युक्त ब्लॉक अंकीकरण केंद्र (बीडीसी) का गठन करने के साथ-साथ सभी सामुदायिक संस्थाओ के स्तर पर एम.आई.एस. के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। जिला परियोजना समन्वय न इकाई एमआईएस में डेटा प्रविष्टि और संकुल संघ स्तर पर इसके उपयोग के लिए क्लस्टर फेसिलिटेटर्स (सीएफ) का क्षमतावर्धन करेगा। प्रबंधक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) और एमआईएस कंसल्टेंट, क्लस्टर फेसिलिटेटर्स (सीएफ) को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा भी डेटा प्रविष्टि का काम किया जा रहा है ताकि डेटा प्रविष्टि में देरी से बचा जा सके। प्रत्येक संकुल संघ में इंटरनेट सुविधा के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम होगा। आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए सी.एफ., सिस्टम तक पहुंच बनाएंगे और साथ ही मासिक बैठकों के दौरान संकुल संघ के सदस्यों के साथ एमआईएस से उत्पन्न प्रतिवेदनो पर चर्चा करेंगे। मास्टर बुक कीपर प्रति माह प्राप्ति और भुगतान पत्रक तैयार करने के लिए जवाबदेह होंगे और एमआईएस में प्रविष्टि के लिए एमआईएस एग्जीक्यूटिव को उपलब्ध करायेंगे। अन्य मॉड्यूल पर भी एमआईएस को अपडेट करने के लिए सीएफ की सेवाएं ली जाएंगी। सीएफ, एमबीके और एमआईएस एग्जीक्यूटिव सामूहिक रूप से ब्लॉक अंकीकरण केंद्र (बीडीसी)का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रबंधक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) या कार्यकारी प्रबंधक नियमित आधार पर बीडीसी के काम की समीक्षा करेंगे और एमआईएस में डेटा के ससमय अंकीकरण को सुनिश्चित करेंगे। किए गए मासिक कार्य की रिपोर्ट प्रबंधक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम एंड

ई) या उनके स्थानापन्न कर्मी द्वारा सत्यापित की जाएगी और जिला परियोजना प्रबंधक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक तथा संबंधित संकुल स्तरीय संघ / ग्राम संगठन से भी साझा की जाएगी।

2.4 पारिश्रमिक

एमआईएस एग्जीक्यूटिव के पारिश्रमिक का भुगतान नोडल संकुल संघ द्वारा किया जाएगा। यदि संकुल संघ का गठन नहीं किया गया है या पर्याप्त परिपक्व नहीं हुआ है तो इसका भुगतान नोडल ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा। बाद में, संकुल संघ के निर्माण या इसके परिपक्व होने पर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव को नोडल संकुल संघ के साथ सलग्न किया जाएगा। संकुल संघ की पहचान डीपीसीयू द्वारा संकुल संघ के प्रदर्शन और उसकी परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। बजट की आपूर्ति संबंधित बीपीआईयू द्वारा की जाएगी। नोडल संकुल संघ की अनुशंसा पर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा एमआईएस एग्जीक्यूटिव के मानदेय के भुगतान की सिफारिश की जायेगी ।

पदनाम	पारिश्रमिक / परामर्श शुल्क (रु)	स्वीकृति प्राधिकरण
एमआईएस एग्जीक्यूटिव	12,000/-+ कर	जिला परियोजना प्रबंधक जिला स्तरीय एमआईएस एग्जीक्यूटिव / प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रखंड स्तरीय एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिये सिफारिश पर संकुल संघ
संकुल संघ का सेवा शुल्क	@ 1000/- प्रति माह	प्रखंड परियोजना प्रबंधक

एमआईएस एग्जीक्यूटिव के पारिश्रमिक में वृद्धि उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी। संतोषजनक प्रदर्शन पर, 10% की वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि की अगली तारीख से एमआईएस एग्जीक्यूटिव के वेतन पर लागू होगी। नए कर्मचारी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 05% वेतन वृद्धि दी जाएगी और बाद के वर्षों में 10% वेतन वृद्धि दी जाएगी।

पदनाम	टीए / डीए	सिफारिश	स्वीकृति देने वाले

		प्राधिकरण	प्राधिकारी
एमआईएस एग्जीक्यूटिव	1. लोकल- ₹150/- प्रति दिन 2. जिला के अन्तरगत और प्रखंड से बहार- ₹250/- प्रति दिन 3. जिला के बहार या राज्य के अन्तरगत- ₹1000/- प्रति दिन (यह तभी मान्य होगा जब यात्रा का समय आठ घंटे से ज्यादा होगा) (अगर ठेरने और खाने की व्यवथा कार्यालय द्वारा की जाएगी तब केवल 25% ही दावा किया जा सकता है)	प्रखंड परियोजना प्रबंधक	संकुल संघ

2.5 पात्रता/हकदारी

एमआईएस एक्जीक्यूटिव, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) की आधिकारिक छुट्टियों के अलावा हर महीने 1 आकस्मिक अवकाश (CL) के लिए पात्र होगा, अगर डाटा एंट्री का काम लक्ष्य से पीछे नहीं है।

2.6 कटौती या जुर्माना

जिला परियोजना प्रबंधक की सिफारिश के बाद एमआईएस एक्जीक्यूटिव के पारिश्रमिक का भुगतान संकुल संघ द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन का आधार इस प्रकार होगा:

क. एमआईएस एक्जीक्यूटिव की उपस्थिति के दिनों की संख्या के आधार पर पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रखंड परियोजना प्रबंधक की सिफारिश।

ख. एमआईएस एक्जीक्यूटिव के पारिश्रमिक में किसी भी कटौती/जुर्माना के लिए जिला परियोजना प्रबंधक संकुल संघ को सिफारिश करेगा।

3. त्यागपत्र और अनुभव पत्र

कार्य छोड़ने की अंतिम प्रयोजित तिथि से 30 दिन पहले एमआईएस एग्जीक्यूटिव संबन्धित संकुल संघ को नोटिस देंगे और प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को भी इसकी एक प्रति प्रदान करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अंतिम प्रयोजित कार्य दिवस से 7 दिनों पहले हीं सूचना देनी होगी।

सीईओ के आदेश से

23.03.2021

(कुमार अंशुमाली)

निदेशक

अनुलग्नक:

1. एम.आइ.एस. एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल

कॉपी:

I. निदेशक, सभी पीसी, सीएफओ और एओ

II. सभी एस.पी.एम., एफ.ओ., पी.एस., पी.एम.

III. DPM और विषयगत प्रबंधक

IV. आईटी अनुभाग

अनुलग्नक–1

एम.आइ.एस. एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल

- वह न्यूनतम स्नातक/बीसीए होना/नी चाहिए । स्नातक होने की स्थिति में, 6 महीने का डी. सी. ए. प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उम्मीदवार को 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए और उसके पास अच्छा विश्लेषणात्मक और संचार कौशल होना चाहिए।

-या-

- वह 6 महीने डीसीए के साथ न्यूनतम इंटरमीडिएट होना चाहिए और 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार के पास अच्छा विश्लेषणात्मक और संचार कौशल होना चाहिए।

एम.आइ.एस. एग्जीक्यूटिव के लक्षण

- उसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ।
- सम्बन्धित जिले/ब्लॉक के निवासी उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी ।
- मुखर होना चाहिए और राज्य/जिला/प्रखंड/ गांव में भ्रमण करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए ।
- विज्ञापन की तिथि को वह 18 – 35 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए ।
- SHG सदस्यों/परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वह परियोजना स्टाफ में से किसी के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।

के.पी.आई. या एम.आइ.एस. एग्जीक्यूटिव के कार्य का विवरण

- वह सभी सॉफ्टवेयर स्तर पर समर्थन के लिए जिम्मेदार होगा - ससमय डेटा का डिजिटलीकरण, हितधारकों के साथ रिपोर्ट साझा करना आदि ।
- ब्लॉक और जिले में एमआईएस संबंधित पहलों को क्रियान्वित करना|
- जिला स्तर पर संबंधित व्यक्ति को सॉफ्टवेयर में बग / त्रुटियों की रिपोर्ट करना ।
- एमआईएस और अन्य गतिविधियों की प्रगति को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना।

- एमआईएस में दर्ज आंकड़ों की वैधता की जानकारी।
- एन. आर. एल. एम. के एम.पी.आर. की प्रविष्टि
- डेटा प्रविष्टि, डेटा संग्रह और डेटा सत्यापन पर समुदाय के पेशेवरों को नियमित प्रशिक्षण।
- समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।